01437-220162,220177
Fax +91-1437-220163
E-mail: purchase.cswri@icar.gov.in

केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर (तहसील-मालपुरा, जिला-टोंक) वाया जयपुर राजस्थान (भारत) 304501
CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE
AVIKANAGAR (TEHSIL-MALPURA DISTT. TONK) VIA: JAIPUR RAJASTHAN (INDIA) 304501

F.No. 6(341) SP/Feed Ingred/2014/Vol.III/ 1504 Dated: 09 -08-2018

मैसर्स उषा उद्योग
बी ; 1 फोकल पोईट
खन्ना - राजपुरा
पजांब

विषय :- खरगोशो हेतु फीड खरीदने की आपूर्ति के सम्बन्ध।
संदर्भ:- आपकी कोटेशन संख्या निल दिनांक 31.07.2018

महोदय,

आपके द्वारा उपरोक्त दिये गये कोटेशन के संदर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि निदेशक महोदय ने कोटेशन में अंकित की गई दर को अनुमोदित कर दी है। अत: आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित सामान की आपूर्ति निम्न वर्णित नियम एवं शर्तो के अनुसार करें।

नियम एवं शर्तें:-

S.N0.	Name of Item	Rate	मात्रा	कुल रूपये
1-	**खरगोशो का फीड** Composition : Maize : 25 % Barley : 15 % DGNC: 15 % DMC : 5 % Soya Flakes: 13 % Wheat Brain : 15% Rise Polish : 05% Mineral Mixture : 1.5 % Salt : 0.5 % Size of Pellet: 3-4 mm CP on Dry Basis : 20 %	**Rs.2575/- per Qtl**	50 Qtl	Rs. 1,28,750/-
			Total Rs.	Rs. 1,28,750/-

1. **सुपुर्दगी**- सामान की सुपुर्दगी आपूर्ति आदेश जारी होने की तिथि से शीध्राति-शीध्र परन्तु 30 दिन के बाद नहीं की जानी है। किसी भी प्रकार से सामान की आपूर्ति में देरी होने पर तुरन्त सूचित करें।
2. उपरोक्त दरें **एफ.ओ.आर. अविकानगर** की हैं, कोई भी अतिरिक्त भाडा एवं बीमा चार्जेज देय नहीं होगा।
3. **कीमत** : उपरोक्त दरें जी एस टी अथवा अन्य शुल्क सहित हैं। फार्म सी एवं डी जारी नहीं किए जाएंगे।
4. **माल पाने वाला**- निदेशक केन्दीय भेड व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
5. **प्रेषण:** सामान को सडक परिवहन/ डाक पार्सल के द्वारा, भाडे का पूर्व में भुगतान कर भेजा जाए।
6. **पेर्किंग:** सामान की सूची एवं मात्रा का पूर्ण विवरण, पेकेज के कवर के नीचे लगाया जाना चाहिए। पेंकिंग सूची के साथ बडे अक्षरों में खरीद आदेश संख्या को चिर्हिंत किया जाना चाहिए।
7. **ट्रांसपोंट रसीद:** सामान के प्रेषण के तुरंत बाद रजिस्टर्ड पोस्ट से माल प्राप्त कर्ता को ट्रांसर्पोट रसीद भेजी जानी चाहिए, अन्यथा किसी भी प्रकार डेमरेज शुल्क की कटौती सप्लायर के बिल से बिना किसी संदर्भ के काट ली जाएगी।
8. **बिल:** प्रि-रिसीपट बिल (तीन प्रतियों में) सभी सम्बन्धित मूल कैश रसीदों के जैसे पैंकिंग अग्रेषित करना, भाडा, कस्टम, एक्साईज ड्यूटी इत्यादि (इसके अलावा भी कोई अन्य जो संस्थान द्वारा भुगतान की जानी हो) माल प्राप्तकर्ता को भेजना चाहिए। बैंक विवरण (आईएफएस कोड संख्या, बैंक खाता नाम, बैंक खाता संख्य, बैंक नाम इत्यादि) बिल पर अंकित किया जाना चाहिए।
9. **भुगतान**- बिल का भुगतान सामान के अच्छी गुणवत्ता एवं खरीद आदेश में अंकित विनिर्देशानुसार प्राप्त होने पर 30 दिन में ई-भुगतान द्वारा किया जायेगा।
10. **लिक्यूडिटी डेमेज:** यदि अनुबंध के कार्य सम्पादन के दौरान किसी भी समय, आपूर्तिकर्ता माल की समय पर सुपुर्दगी में ब्राधा उत्पन्न रखने वाली परिस्थितियों का सामना करता है, तो आपूर्तिकर्ता को तुरंत संस्थान को देरी के तथ्य और उसी आपूर्ति की संभावित अवधि के बारे में लिखित रूप में सूचित करना होगा। आपूर्तिकर्ता के पत्र की प्राप्ति के बाद, संस्थान इस बात का निर्णय करेगा कि क्या मौजूदा सुपुर्दगी की अवधि के बाद अप्रयुक्त भाग अनुबंध को रद्द करना है या अनुबंध को संशोधित कर जारी करके समान की सुपुर्दगी की अवधि का विस्तार करना है। यदि आपूर्तिकर्ता निर्धारित समय में सुपुर्दगी करने में असमर्थ रहता है, उन करणों को छोडकर जो कि उसक नियंत्रण से बाहर हैं (संस्थान द्वारा निरूपित) और संस्थान द्वारा अनुबंध की कार्यावधि बढा दी जाती है तो संस्थान अनुबंध की कीमत से लिक्यूडिटी डेमेज के तौर पर विलम्बित सामान/ अनुपलब्ध सेवाओं के वितरत मूल्य का 0.5 प्रतिशत देरी के प्रत्येक सप्ताह या उसके भाग के लिए सुपुर्दगी के वास्तवितक समय तक वसूली जाएगी। हालांकि ऐसी कटौती की अधिकतम सीमा बिलम्बित वस्तुओं या सेवाओं के अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत होगीं।
    i. इसके अलावा, आपूर्ति और/ या कार्य सम्पादन की ऐसी विलंबित अवधि के दौरान, आपूर्तिकर्ता किसी भी आधार पर कीमत और लागत में किसी भी वृद्धि के हकदार नहीं होंगे। हालांकि, संस्थान बिलम्बित अवधि के दौरान किसी भी आधार पर कीमतों और लागत में किसी भी कमी के लाभ के हकदार होंगे।
    ii. संस्थान द्वारा आपूर्ति आदेश की सुपुर्दगी अवधि में विस्तार के संबंध में पत्र(एक प्रति आपूर्तिकर्ता को एवं अन्य प्रतियां संबंधित को) उपरोक्त शर्तों के अधीन होगा।
11. बिल पर निम्न प्रमाणपत्र अंकित किया जाना चाहिये:-
    a. प्रमाणित किया जाता है कि जिस सामान पर जी एस टी /अन्य कर लिया गया है वह सामान केन्द्र या राज्य के अधिनियम में इस करों से छूट प्राप्त नहीं है और/या जिन नियमों के तहत सामान पर GST लिया गया है उसका सम्बन्धित अधिनियम में प्रावधान रखा गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हम मैसर्स .... डीलर के तौर पर पंजीयन .... राज्य में किया गया है, और हमारा इस उद्देश्य के लिए पंजीयन संख्या (1) केन्द्र .... (2) राज्य .... है।
12. इस आदेश की पावती लौटती डाक से भिजवाने का श्रम करें।
13. संस्थान को यह अधिकार सुरक्षित है कि भुगतान होने से पूर्व यदि सामान आपूर्ति आदेश के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो आपूर्ति आदेश सम्पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से निरस्त किया जा सकता है। जब तक संस्थान द्वारा अन्यथा स्वीकार नहीं किया जाता तब तक इस आदेश के विरूद्ध आंशिक आपूर्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

भवदीय

(हर्षित अग्रवाल)
प्रशासनिक अधिकारी,(क्रय) 9/8/18